



UPKU010075382023

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या - 620 / 2023

हबीब बनाम उ०प्र० सरकार व चार अन्य।

29.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकारा गया। दोपहर का 01:00 बजा है। बार-बार पुकार कराये जाने पर आवेदक की ओर से कोई हाजिर नहीं है, जबकि विपक्षी सं० 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हाजिर हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2023 को न्यायालय में योजित किया गया था, जिसे आपराधिक प्रकीर्ण वाद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अन्तिम बार पत्रावली में नियत तिथि 14.01.2026 को न्यायालय में हाजिर आये थे, उसके पश्चात् से आवेदक अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं आये हैं। आज भी आवेदक की ओर से कोई हाजिर नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की प्रस्तुत वाद चलाने में कोई रूचि नहीं है, तदनुसार यह वाद आवेदक की गैर हाजिरी के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-620/2023, हबीब बनाम उ०प्र० सरकार व चार अन्य आवेदक की गैरहाजिरी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार त्यागी)

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।